ORDER SHEET 155-2010 Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
17-11-16	राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपी बंटी,लायक उर्फ भूरा,बलराम सिह एवं विशाल सिंह सिहत अधि0श्री हृदेश शुक्ला उप0 प्रकरण आज अंतिम तर्क हेतु नियत है। आज दिनांक को फिरयादी गंधर्व व आहत मीना उप0 है। फिरयादी व आहत की पहचान अधि0श्री रामेन्द्र सिंह कौरव द्वारा की गई है। इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयािक वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मिज0प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध मे रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मिज0प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप0 हो। प्रकरण मीडिएशन रिपेटि हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।	
	सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी० पुनश्च— राज्य द्वाराएडीपीओउप० आरोपीगण सहित अधि०श्री हृदेश शुक्लाउप० फरियादी गंधर्व एवं आहत मीना उप० प्रकरण में मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित चाही गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी बंटी पर भादस की धारा 294,33 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो तथा आरोपी भूरा उर्फ लायक सिंह, बलराम, एवं विशाल पर भादस की धारा 294,323,323/34 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है। फरियादी गंधर्व सिंह व आहत मीना ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी बंटी को भादस की धारा 294,323 दो शीर्ष एव 506 भाग दो तथा आरोपी विशाल,बलराम, एवं भूरा उर्फ लायक सिंह को	CARTA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN

भादस की धारा 294,323,323 / 34 एवं 506 जाता है।	
जाते हैं।	के जमानत व मुचलके भारहीन किए
	रण को अभिलेखागार में जमा किया
जावे।	
3 6	सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०
the second	पाण्नणस्याण
8	

